



कार्यालय  
अधिकाारी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम  
बागपत।

दूरभाष-0121-2221050

फैक्स- 0121-2221050

ई-मेल.eddbaghat9242@gmail.com

पत्रांक :- 559 / वि०वि०ख०प्र०बा० / जनसूचना /

दिनांक :- 16/06/2021

विषय- जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

श्री० धर्मेन्द्र सिंह,  
निकट सी०ओ० आफिस,  
तहसील कम्पाउण्ड गढ,  
हापुड।

उपरोक्त विषयक आप अपने जनसूचना पत्र दिनांक 20.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का क  
करे, जिसके द्वारा मांगी गई सूचना विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम बागपत से सम्बन्धित नहीं है, अपि  
यह सूचना पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० से सम्बन्धित है जिसका एक 400 के०वी०ए० व  
श्री०केन्द्र इस जनपद के ग्राम ट्योढी में है। कृपया सम्बन्धित से उक्त सूचना प्राप्त करने का कष्ट क

अतः खण्ड कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण आपका आवेदन मूलरूप में वापस कि  
जाता है।

जनसूचना अधिकारी / अधिकाारी अभि



Power Grid  
Compensation Detail for PGCL Lines (10 KV Towers) for Distt. Baghpat UPTCL

Towers (A, B, C Type)

*Handwritten signature/initials*

*Ameyure-m*

No.	Type of Tower	Size (MxM)	Area M <sup>2</sup>	Compensation (Rs.)	Rate of Compensation per sq. Meter (Rs.)	Average rate of compensation per sq. meter valid for small tower Area (142.05 sq. m to 360.19 sq. m) (Rs.)
	A+3	11.919x11.919	142.05	500000.00	3520	
	A+3	12.7544x12.744	162.53	500000.00	3076	
	A+6	13.5899x13.5899	184.68	500000.00	2707	
	A+9	14.4252x14.4251	208.63	500000.00	2403	
	B+0	13.846x13.846	191.71	500000.00	2608	
	B+3	15.003x15.003	225.09	500000.00	2221	
	B+6	16.1615x16.1615	261.19	500000.00	1914	
	B+9	17.320x17.320	299.98	500000.00	1667	
	C+2	15.23x15.218	231.53	500000.00	2158	
	C+3	16.4715x16.4715	271.31	500000.00	1843	
	C+6	17.72516x17.72516	314.18	500000.00	1591	
	C+9	18.97874x18.97874	360.19	500000.00	1388	
						Rs. 2258



(D) Big Towers (D-Type)

SL. No.	Type of Tower	Size (MxM)	Area M <sup>2</sup>	Compensation (Rs.)	Rate of Compensation per sq. Meter (Rs.)	Average rate of compensation per sq. meter valid for Big tower Area (294.09sq. m to 677.51 sq. m) (Rs.)
	D+0	17.14902x17.14902	294.09	600000.00	2040	
	D+3	18.629x18.629	347.06	600000.00	1729	
	D+6	20.109x20.109	404.57	600000.00	1484	
	D+9	21.589x21.589	463.98	600000.00	1287	
	D+18	26.029x26.029	677.51	600000.00	886	Rs. 1485



NO-S 617/C-0165-014/254-11

Yon  
11

पश्चात् संबंधित कृषक को दिया जायेगा। यदि एक टावर निर्माण में कई कृषक आते हैं तो टॉवर से संबंधित प्रत्येक कृषक को उनसे संबंधित भू-क्षेत्र के अनुपात में उपरोक्त मुआवजा राशि वितरित किया जायेगा।

2. जहाँ उपरोक्त तीन प्रक्रियाओं में से टावरों पर कुछ कार्य हो चुका है, वहाँ बिना संख्या-1 में टावर्स की निर्धारित की गयी धनराशि (रूपया 05-06 लाख जैसा टावर हो) र पहले से किये जा चुके भुगतान को काट कर शेष धनराशि का भुगतान हिस्सेदारी के आधार पर किया जायेगा। जहाँ पहले ही 5 या 6 लाख का भुगतान किया जा चुका है वहाँ और भुगतान नहीं किया जायेगा। स्टेजवाइज धनराशि के भुगतान में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा ताकि भुगतान के संबंध में कृषकों का विश्वास बना रहे।

3. दो टावरों के बीच के कॉरिडोर में स्थित फसल का मुआवजा 25 मीटर की चौड़ाई के मौकों पर मौजूद फसल के आधार पर दिया जायेगा। वर्तमान में गन्ने की फसल के लिए  $22,400 / 2000$  प्रति बीघा  $\times$   $200$  प्रति कु. प्रति बीघा तथा गोहूँ के लिए  $1000$  प्रति बीघा की उपज मानते हुए गोहूँ के सराकारी कय दर पर दिया जायेगा।

5. वृक्षों का मुआवजा वन विभाग से वृक्ष के मूल्य का आकलन कराकर दिया जायेगा।

उक्त लिए गये निर्णय पर क्षेत्र के किसानों, किरानों के प्रतिनिधियों एवं मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुआ।



Dh  
23/4/15  
(धनलक्ष्मी के.)  
जिलाधिकारी  
बागपत।

